

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त छात्र/छात्रायें (नाम से),  
नीट पी०जी०-2017 यू०पी० के मॉप-अप राउण्ड द्वारा प्रदेश के सभी राजकीय/  
निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रवेशित।

संख्या:-एमई-4/2017/1185

लखनऊ, दिनांक: 16 अगस्त, 2017

विषय:-रिट याचिका संख्या-28550/2017, डा० भावना तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व  
अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में डा० भावना तिवारी  
बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य सम्बन्धी रिट याचिका संख्या-28550/2017 विचाराधीन है,  
जो नीट पी०जी०-2017 यू०पी० काउन्सिलिंग से सम्बन्धित है।


माननीय उच्च न्यायालय के निर्गत आदेश दिनांक-04.08.2017 (छायाप्रति संलग्न) कर  
प्रेषित की जा रही है, में निम्न आदेश निर्गत किया गया है-

“We, accordingly, direct the Director General of Medical Education &  
Training, Lucknow to intimate respondent nos. 6 to 14 that the case would  
be listed on 22.08.2017 and also that they may put their appearance and file  
their respective counter affidavits, if they so desire. The Director General of  
Medical Education & Training, Lucknow will further intimate all the  
students, who have been admitted in the Mop Up Round intimating them  
that their admission is under scrutiny and if any candidate so desire, they  
may also contest the matter before the High Court. Proof of such intimation  
to such respondents and to the candidates will be submitted on a separate  
affidavit.”

उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दिनांक-22.08.2017 को सूचीबद्ध है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष में संलग्न मा० न्यायालय के आदेश को संज्ञान में लेते हुए  
तदनुसार आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से करना चाहें। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,  
  
(के०के० गुप्ता)  
महानिदेशक